संख्या-419/2019/1264/69-1-2019-14(34)/2019

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1. **समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,**
   जिला नगरीय विकास अभिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त परियोजना निदेशक,**
   जिला नगरीय विकास अभिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। **लखनऊ : दिनांक : 05 नवम्बर, 2019**

विषय- जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के निर्माण व अन्य कार्य हेतु प्रकाशित निविदाओं में प्रतिभाग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से निविदायें आमंत्रित किये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या-3/2017/1067/78-2-2017-42आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 द्वारा दिये गये हैं। वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार जनपदों के जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में पंजीकृत ठेकेदार द्वारा ही सम्बन्धित डूडा द्वारा प्रकाशित निविदाओं में प्रतिभाग किया जाता है। एक तरफ जहां ई-टेण्डरिंग के माध्यम से सम्बन्धित व्यक्ति देश के किसी कोने में निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकता है, वहीं दूसरी तरफ डूडा का यह प्राविधान कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिये सम्बन्धित डूडा में पंजीकृत होने की अनिवार्यता आपस में विरोधाभाषी है। उपर्युक्त के कारण जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा आमंत्रित निविदा में प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जनपदों में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने के लिये आवेदक निविदादाता का सम्बन्धित डूडा में पंजीयन आवश्यक नहीं होगा। डूडा द्वारा कार्य के अनुसार तकनीकी व वित्तीय मानकों का उल्लेख अर्हता के लिये टेण्डर डाक्यूमेन्ट में किया जाना चाहिये।

क्रमशः........2

http://shasnadesh.up.nic.in

3. निविदादाता से न्यूनतम निविदा प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई-बैंकिग के माध्यम से जमा कराते हुये निविदादाता का पंजीकरण कर निविदा की शर्तों के अनुसार जमानत आदि की धनराशि जमा कराते हुये नियमानुसार अनुबन्ध गठित किया जायेगा।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-419/2019/1264(1)/69-1-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http//shasnadesh.up.nic.in